लोक सुनवाई की कार्यवाही विवरण

मेसर्स बासुदेव ट्रेड लिंक, ग्राम–रामबोड़, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (छ.ग.) द्वारा खसरा क्रमांक 505 (पार्ट), 502/2, एवं 503/3, कुल क्षेत्रफल–11.952 हेक्टेयर में डीआरआई किल्न (स्पंज आयरन इकाई) क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष से 58,500 टन प्रतिवर्ष, डब्ल्यु. एच.आर.बी. आधारित पॉवर प्लांट क्षमता–2.5 मेगावॉट से 5 मेगावॉट, एफबीसी आधारित पॉवर प्लांट क्षमता–4.5 मेगावॉट से 8 मेगावॉट, हॉट चार्ज्ड रोल्ड प्रोडक्ट (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल) क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष से 90,000 टन प्रतिवर्ष, कोल गैसीफायर (प्रोड्युसर गैस) क्षमता–2,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा से 6,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा, प्रस्तावित न्यू वॉयर ड्राइंग मिल 60,000 टन प्रतिवर्ष, बाईडिंग वॉयर मिल 30,000 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 16.12.2019 को दिन सोमवार, समय 12.00 बजे स्थान–शासकीय प्राथमिक शाला खम्हारडीह, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरणः–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई. आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के अंतर्गत मेसर्स बासुदेव ट्रेड लिंक, ग्राम–रामबोड़, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (छ.ग.) द्वारा खसरा क्रमांक 505 (पार्ट), 502/2, एवं 503/3, कुल क्षेत्रफल–11.952 हेक्टेयर में डीआरआई किल्न (स्पंज आयरन इकाई) क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष से 58,500 टन प्रतिवर्ष, डब्ल्यु. एच.आर.बी. आधारित पॉवर प्लांट क्षमता–2.5 मेगावॉट से 5 मेगावॉट, एफबीसी आधारित पॉवर प्लांट क्षमता–4.5 मेगावॉट से 8 मेगावॉट, हॉट चार्ज्ड रोल्ड प्रोडक्ट (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल) क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष से 90,000 टन प्रतिवर्ष, कोल गैसीफायर (प्रोड्युसर गैस) क्षमता–2,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा से 6,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा, प्रस्तावित न्यू वॉयर ड्राइंग मिल 60,000 टन प्रतिवर्ष, बाईडिंग वॉयर मिल 30,000 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय समाचार पत्र नई दुनिया 12.11.2019, हरिभूमि, बिलासपुर में दिनांक 13.11.2019 के अंक में तथा राश्ट्रीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स, नई दिल्ली में दिनांक 13.11.2019 के अंक में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई दिनांक 16.12.2019 को दिन सोमवार, समय 12.00 बजे स्थान–शासकीय प्राथमिक शाला खम्हारडीह, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु कार्यालय कलेक्टर मुंगेली, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुंगेली, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मुंगेली, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पथरिया, जिला–मुंगेली, क्षेत्रीय अधिकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर, सरपंच/सचिव, कार्यालय ग्राम पंचायत रामबोड़, धमनी, टिकैत पेण्ड्री, ककेड़ी, मोहदी,

उमरिया, सल्फा, एवं खपरी, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (छ.ग.), मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य क्षेत्र) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्राउण्ड फ्लोर, ईस्ट विन्ग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र), डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड नई दिल्ली, सदस्य सचिव, मुख्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, व्यापार विहार, जिला–बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, व्यापार विहार, जिला–बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त प्रस्तावित क्षमता विस्तार के तहत् पॉवर प्लांट के संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 16.12.2019 को दिन सोमवार, समय 12.00 बजे स्थान–शासकीय प्राथमिक शाला खम्हारडीह, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्री राजेश नसीने, अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–मुंगेली द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ डॉ. सुरेश चंद्र, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् प्रस्तावक की ओर से श्री सुब्रोतो दास गुप्ता महाप्रबंधक, मेसर्स बासुदेव ट्रेड लिंक, ग्राम–रामबोड़, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (छ.ग.) द्वारा उद्योग के क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जनसामान्य को दी गई।

अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री कौशल किशोर दुबे, आश्रम खम्हाडीह** :– खम्हारडीह एवं आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। वायु प्रदूषण नहीं होगा। ऐसा ही कार्य करें जिससे प्रदूषण न हों। हमारी स्वीकृति है। आश्रम के सभी की ओर से स्वीकृति है।

2. **श्री पंडित शिवम शर्मा, आश्रम खम्हारडीह** :–उद्योग के विकास के लिए आयोजन हुआ है। जनता का विकास होगा। लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदूषण नहीं होना चाहिए। हम सब लोग सहमत है।

3. **श्री प्रदीप कुमार शर्मा, रामबोड** :– हम लोगों को रोजगार मिल रहा है सहायता मिल रहा है खुले, अच्छा है गांव में खुल गया है। हम लोगों को रोजगार मिलेगा। पर्यावरण के लिये पौधा लगाओं। आसपास के जनता को रोजगार मिले। यही हम चाहते है।

4. **श्री साबीर उल्ला खान ग्राम–धमनी** :– उद्योग खुले जनता का ध्यान करते रहे। हमारा ध्यान रखें। कैम्प लगाये, शिक्षा को बढाया जाये। जो ट्रेण्ड नहीं है उन्हें ट्रेनिंग दिया जाये।

5. **श्री परदेशी राम यादव, खम्हारडीह** :– रोड का चौडीकरण किया जाये। स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये। यू.पी. बिहार से आये है। मै चाहता हू कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये।

6. **श्री सबल प्रसाद डहरिया, ग्राम पंचायत ककेडी** :– हमारा क्षेत्र कृषि ग्रामीण क्षेत्र है। हमारी निर्भरता पर कोई प्रभाव न पडे। पर्यावरण का ध्यान दे। हम सहयोग के लिए तैयार है।

7. **श्री मोहित ध्रुव, ग्राम–रामबोड** :–हमारे लडके लोग को रोजगार मिलना चाहिए। फसल नुकसान न हो। सुख दुख में साथ दे।

8. **श्रीमती अंजुला सिंग ध्रुव, आंगनबाडी कार्यकर्ता** :– अच्छा है। पॉवर प्लांट खुले। मेरे बच्चो को रोजगार मिले। महिलाओं को सहायता दे। सुख दुख में साथ दे। पर्यावरण को ध्यान दे।

9. **श्री हेमकेशवर कौशिक, ग्राम–अण्डा** :–सीमेंट, पावर, स्टील के मालिक कृपया करके हैवी गाडी से रोड टूट जाता है। जगह नहीं मिल रहा है आने जाने में परेशानी हो रही है। कृषि के लिए उपयुक्त जगह है। प्रोजेक्ट तैयार करें। आसपास के लोगों को रोजगार मिले। काम दे। प्रदूषण न हो। राख उडकर किसान के खेत में न जाये।

कोयला न जाये। अच्छा से काम हो। मजदूरी दिया जाये। मजदूरो को पीएफ की प्राथमिकता मिले। प्रदूषण नहीं होना चाहिए। रोड का बराबर मरम्मत होना चाहिए।

10. **श्री प्रफुल्ल शर्मा उपसरपंच, ग्राम–रामबोड** :–फैक्ट्री का विस्तार किया जा रहा है। खुलने पर कोई आपत्ति नहीं है। विकास हो, योग्यता के अनुसार काम दिया जाये। पर्यावरण पर ध्यान दिया जाये। एक–एक पेड सब लगाये। धन्यवाद

11. **श्री शुभम कौशले, भखुरीडीह** :– मनियारी से रामबोड तक का रोड चौडी करण कर दे। आवागमन से परेशानी न हो। कोई घटना न हो। पहले रोड बनना चाहिए। फिर प्लांट। योग्य के अनुसार काम मिलना चाहिए। काम के लिए हम लोगों को बाहर नहीं जाना पडेगा, अच्छे से काम करेंगे परिवार के साथ रहेंगे।

12. **श्री सखीचंद वर्मा, रामबोर्ड** :– पॉवर प्लांट खुलने से कोई आपत्ति नहीं है। आर ओ प्लांट लगना चाहिए। पानी के लिए तकलीफ है।

13. **श्री मनोज शर्मा, रामबोर्ड** :–प्लांट खुल रहा है भाई लोग को रोजगार मिले। ग्रीन बेल्ट बनाना है। समाजिक कार्य करे। हमारी मदद करें। यही हमारा आग्रह है।

14. **श्री कलीचरण, रामबोर्ड** :– बासुदेव उद्योग से हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छ से सहयोग दे।

15. **श्री प्रशांत शर्मा, खम्हारडीह** :– मेरा खेती खार यही है। राधा माधव के नाम से मै संबोधन करता हूॅ। प्लांट का विस्तार करों। 2, 4 प्लांट और लगाओं। आगे बढो। पिछे मत देखो। खम्हारडीह के महामाया मंदिर में गुम्बर बनाये। हमें कोई आपत्ति नहीं है।

16. **श्री अनिल सिंह ठाकुर, टिकैतपेण्ड्री** :– कंपनी के विस्तार में हमें कोई आपत्ति नहीं है। बेरोजगार लडके को पढाई के अनुसार, योगयता के अनुसार रोजगार मिले। कोई आपत्ति नहीं है। पेण्ड्री, रामबोड के बीच में यात्री प्रतिक्षालय बनाये। वासुदेव ट्रेडलिंक से के नाम से।

17. **श्री रूपकिशोर दुबे, आश्रम खम्हारडीह** :– वासुदेव ट्रेडलिंक में मै काम करता हूॅ। बाहर जो जाते है उन्हें यहां पर नौकरी दी जाये।

18. **श्री भुखनलाल सोन्से, टिकैतपेण्ड्री** :–उद्योग को बहुत–बहुत बधाई देता हू। बेरोजगार को रोजगार दे। हमारे गांव को गोद ले ले। रोड के गडडे को भरवा दे जिससे आने जाने में सुविधा हो।

19. **श्री राजेश यादव, खम्हारडीह** :– पुरूष भर के लिए रोजगार खुला है। महिला के लिए नहीं। रोड चौडीकरण करवा दे। बडे गाडी आने से हम लोग किनारे हो जाते है। सभी को रोजगार दे महिला हो या पुरूष सभी को रोजगार दे। कंपनी सब का सुने।

20. **श्री बृजेश शर्मा, सरगांव** :–उद्योग विस्तार के लिए कोई आपत्ति नहीं है। रोजगार व्यवसाय मिलता है। प्लांट के हर साल विस्तार होते रहे। मै कामना करता हूॅ।

21. **श्री परमेश्वर सिंह राजपूत, रामबोड** :–प्लांट आने जाने में दिक्कत होती है। वहां लाईट की व्यवस्था हो जाये। पानी का व्यवस्था आर ओ की व्यवस्था की जाये। युवा टीम को कोई आपत्ति नहीं है।

22. **श्री नवीन शर्मा, रामबोर्ड** :–वासुदेव ट्रेड लिंग बडा प्लाट हो रहा है। 50 के जगह 100 लोगों के रोजगार मिलेगा। पेड पौधा वृक्ष पर्यावरण का ज्यादा ध्यान दे।

23. **श्री माखन वर्मा, रामबोर्ड** :– आर ओ मशीन की मांग है। कोई आपत्ति नहीं है।

24. **श्री सीताराम ध्रुव, खम्हारडीह** :– एक पॉवर प्लांट है एक स्पंज आयरन है। उसको भी सहमती प्रदान करें है। आज इसको भी सहमती प्रदान कर रहे है। हमारे गांव के पढे लिखे भाई को रोजगार मिले। पर्यावरण का विशेष ध्यान दे। रामबोर्ड में पानी की व्यवस्था दैयनीय स्थिति है। हम निवेदन करते है। पानी की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से व्यवस्था करें। पानी पर विशेष ध्यान दे पॉवर प्लांट। पर्यावरण पर विशेष ध्यान दे।

25. **श्री कमल कुमार ध्रुव, ग्राम पंचायत मोहदी** :– मेरे गांव में पानी की समस्या है पानी टंकी और टेपनल की व्यवस्था करें।

26. **श्री चंद्रशेखर दीनकर, मोहदी** :–वासुदेव को आगे बढाया जा रहा है कोई आपत्ति नहीं है।

27. **श्री कैलाश सिंह ठाकुर, टिकैतपेण्ड्री** :– वासुदेव विस्तार के लिए इकट्ठा हुये है। वासुदेव प्लांट का स्थापना है उसी के सामने आम्रकुंज का स्थापना किये थे। आम का पौधा लगा है। आज एक भी आम का पौधा नहीं है। मै आग्रह करता हूँ उस जगह को वासुदेव को देकर फिर से आम का पौधा तैयार किया जाये। फलदार वृक्ष तैयार हो। वासु देव को दिया जाये। उसको हम लोग वासुदेव को दे दो तो उस एरिया में पौधा डेव्हलप हो सकता है। पॉवर प्लांट के बाजू में वृक्षारोपण किया गया था फलदार नहीं था। पावर प्लांट को दे दिया जाये। मनियारी से प्लांट तक के रोड, तीनों पॉवर प्लांट है, रोड का 10 फीट का डामर है। उसके बगल में 1.5 फीट गड्डा है। गाडी पलटने का डर है। जहां–जहां गड्डा है। तीनों प्लांट मिलकर गडड्े को पाट दे। सरकार पर निर्भर न रहे। अपने मटेरियल से, या बेड मटेरियल से गडड्े को पाट दे दुर्घटना नहीं होगा। प्लांट लगे, आपत्ति नहीं है लोगों को रोजगार मिले। छत्तीसगढ़ के लडके प्रशिक्षित नहीं है इनको काम नहीं आता है। बाहर से वर्कर आने से हमारे क्षेत्र में अपराध बढता है। हमारे यही पर के लडके को प्रशिक्षित किया जाये। ट्रेनिंग दिया जाये और यही के लोगों को रोजगार दिया जाये। कनेर का पौधा लगाकर पेड बताया जाता है। कनेल, गुलाब, मोगरा न लागा कर फलदार वृक्ष लगाया जाये। पर्यावरण का बचाया जाये।

28. **श्री सुबोध शर्मा, रामबोर्ड** :–वृक्षारोपण, रोड के लिए बात कर चुके है। हम लोग ज्यादा पढे लिखे नहीं है। मां बाप पिछडे हुये है। सात हजार में रोजगार दिला दिया जाये। गांव में पढे लिखे हुये है। लडकी भी है। बारवी के बाद कॉलेज पढने नहीं जाते है। कॉलेज के लिए पढाई के लिए सुविधा बढाई जाये।

29. **श्री संतोष कुमार पात्रे, उमरिया** :– हजारो युवाओं को रोजगार मिलेगा, कोई आपत्ति नहीं है।

30. **श्री फत्तेसिंह राजपूत, रामबोर्ड** :–उद्योग में आसपास के लोग काम कर रहे है। गांव के भाई लोगों को रोजगार मिले यही चाहता हूँ।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अतिरिक्त कलेक्टर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब लगभग 2.30 बजे अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री श्री सुब्रोतो दास गुप्ता महाप्रबंधक, मेसर्स बासुदेव ट्रेड लिंक, ग्राम–रामबोड़, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (छ.ग.) के द्वारा

परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। इनके द्वारा बताया गया है। योग्यता अनुसार आवश्यकता अनुसार हम यहां रोजगार देंगे। पर्यावरण का ध्यान देंगे। पेड पौधे लगायेंगे। रोजगार दिये है देते रहेंगे। आप लोगों के अपेक्षाओं पर हम खरा उतरेंगे ये चाहते है। लोकल लोगों को रोजगार दिया गया है आगे भी देते रहेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। लगभग 2.30 बजे अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 183 सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्ति प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 30 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 150 व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल 104 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर (छ.ग.)

अतिरिक्त कलेक्टर
जिला–मुंगेली (छ.ग.)